<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1863–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–9–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 178/निगरानी/2009–10.

1. रामाश्रय तनय राममिलन कुशवाह
2. श्रीमती शान्ती पत्नी रामलखन कुशवाह
3. अनिल पुत्र रामलखन कुशवाह
4. अमित पुत्र रामखलन कुशवाह
   समस्त निवासी ग्राम नैना तहसील
   रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. अनुसुइयादीन मृत वारिसान–
   अ. महेन्द्र सिंह
   ब. गंगादीन सिंह
   स. रघुराजसिंह
   द. वासुदेवसिंह
   ई. नरेन्द्र सिंह सभी पुत्रगण अनुसुईयादीन
   समस्त निवासी ग्राम नैना तहसील
   रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
2. रामसिया मृत वारिसान–
   अ. रामनिवास पुत्र रामसिया
   ब. रामसनेही पुत्र रामसिया
   स. रामकरण पुत्र रामसिया
   द. राजकिशोर पुत्र रामसिया
   ई. राजललन पुत्र रामसिया
   समस्त निवासी ग्राम नैना तहसील
   रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री डी0के0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री [illegible] पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16 सितम्बर 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक अनुसुईयादीन द्वारा न्यायालय तहसीलदार रघुराजनगर के प्र0 कं0 02/अ–46/69–70 में पारित आदेश दिनांक 14–4–71 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। न्यायालय में अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र पेश किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–3–09 से अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन मान्य कर अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–4–71 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि तहसीलदार रघुराजनगर का राजस्व प्रकरण कमांक 02/अ–46/69–70 में पारित आदेश दिनांक 14–4–71 को तलाश कराकर तथा पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी दायर की गई जो अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 17–12–09 के द्वारा निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–9–11 के द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अनावेदक अभिभाषक ने लिखित एवं मौखिक बहस में मुख्य रूप से तर्क दिये कि–

1. अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के प्रकरण कमांक 02/अ–46/69–70 आदेश दिनांक 14–4–71 की प्रति के बिना ही अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना अभिलेख देखे यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है कि बिना अनावेदक को पक्षकार बनाये अनावेदक के हक की भूमि को आवेदक के नाम दर्ज कर दी गई है। सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी को बिना आदेश की प्रति के प्रकरण को विचार में ही नहीं लेना चाहिए था।

2. तहसीलदार रघुराजनगर ने अपने पत्र कमांक 506/रीडर/तहसील/08 दिनांक 29–9–08 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सूचित किया कि प्रकरण की तलाश की गई किन्तु उपलब्ध नहीं हो रहा है। प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज होना पाया जाता है तथा प्रकरण वर्ष 1969–70 में दर्ज है, जिसमें अनुसुईदीन प्रकरण में अनावेदक के रूप में पक्षकार थे।

3. अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण ने प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। वर्ष 1971 के आदेश के विरूद्ध वर्ष 1998 में अर्थात लगभग 27 वर्ष पश्चात अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद के अन्दर मानकर बिना अभिलेख देखे निरस्त करने में त्रुटि की है।

4. प्रश्नाधीन आराजी में अनावेदक अनुसुईयादीन का कभी कब्जा दखल नहीं रहा। आवेदकगण के पिता का कब्जा विधिवत राजस्व रिकार्ड खसरा पंचशालाओं में वर्ष 63 से लगातार दर्ज रहा। अनावेदक अनुसुईयादीन द्वारा आवेदकगण के नाम पर नामांतरण किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई थी तथा सहमति के आधार पर ही आवेदकगण के नाम पर नामांतरण प्रमाणित हुआ। उक्त तथ्य की पुष्टि अनुसुईयादीन द्वारा स्वतः प्रकरण कमांक 05/अ–70/95–96 में दिनांक 25–6–96 को प्रस्तुत जबाव की कण्डिका 2

में स्वयं यह स्वीकार किया है कि आराजी नम्बर 352 का जुज रकवा 0.20 ए. एवं आराजी नम्बर 353 का जुज रकबा 0.40 ए. को छोडकर अन्य आराजियातें रामाधार काछी एवं लल्लन को अनावेदक द्वारा नामांतरण में सहमति दी गई थी। आवेदकगण के पक्ष में किये गये सहमति के आधार पर हुये नामांतरण की जानकारी वर्ष 1969–70 से ही थी जिसपर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं करने में त्रुटि की है।

5. अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–3–09 को तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रकरण कमांक 02/अ–46/69–70 की तलाश कराकर उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें, परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना उक्त अभिलेख को प्राप्त किये ही आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की है। बिना अभिलेख के गुण–दोषों पर निष्कर्ष निकालना विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

6. रामचरण लोधी के नाम नामांतरण होने के बाद वर्ष 1989 में रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से रामलखन कुशवाह तनय राममिलन कुशवाह द्वारा प्रश्नाधीन आराजियों के जुज भाग को कय किया तथा रामआसरे द्वारा रामचरण से ही उक्त आराजीयों को कय नामांतरण पंजी कमांक 14 आदेश दिनांक 19–9–90 के द्वारा नामांतरण केताओं के नाम प्रमाणित हो गया था। इस तरह रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर हुये नामांतरण को निरस्त करने एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य घोषित करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर दीवानी न्यायालय को हैं।

7. अनावेदक अनुसुईयादीन सिंह द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध व्यवाहर न्यायालय में स्वत्व घोषण एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें दीवानी न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 117ए/09 में पारित आदेश दिनांक 24–8–09 के द्वारा अनुसुईयादीन सिंह का अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त किया गया। इसके विरूद्ध अनावेदक

द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 25ए/09 में पारित आदेश दिनांक 14–5–10 के द्वारा निरस्त की गई। अनावेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो मान0 उच्च न्यायालय के प्रकरण पिटीशन कमांक 9329/2010 में पारित आदेश दिनांक 13–2–2013 द्वारा निरस्त किया गया है और दीवानी न्यायालयों के आदेश को यथावत रखा गया है।

8. अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बिना विचार किये विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये एवं तहसीलदार रघुराजनगर का राजस्व प्रकरण कमांक 02/अ–46/69–70 में पारित आदेश दिनांक 14–4–71 स्थिर रखा जाये। तर्क के समर्थन में 1993 आरएन 28, 2011 आरएन 210, 2015 आरएन 04, 2015 आर एन 107, 2008 पार्ट–4 एम.पी.एल.जे. पेज 113, 2008 सेकेण्ड एम0पी0एल0जे0 166 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये।

4/ अनावेदकगण अभिभाषक ने लिखित एवं मौखिक बहस में मुख्य रूप से तर्क दिये कि–

1. प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक अनुसुईयादीन के मालिकाना हक व कब्जेदखल की भूमियां थी। अनुसुईयादीन ने अपनी उपरोक्त आराजी रामाधार काछी, राममिलन काछी एवं रामचरण लोधी के हक में कभी भी किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं की।

2. आवेदकगण ने अनावेदक की भूमि को चोरी छिपे अपने नाम करा लिया, जिसकी जानकारी अनावेदक को नहीं हुई क्योंकि उसे किसी प्रकार की सम्मन सूचना नहीं दी गई। जानकारी होने पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें तहसीलदार के आदेश को निरस्त आवेदकगण का नाम विलोपित करने के आदेश दिये तथा प्रकरण

पुनः तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था। तहसीलदार द्वारा पुनः कार्यवाही करते हुये दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अनोवदक की भूमि मानते हुये रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है।

3. आवेदक का जिस प्रकरण एवं आदेश का हवाला देकर खसरों में नाम अंकित किया गया वह आदेश आवेदक द्वारा कभी भी किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उक्त प्रकरण प्राप्त हुआ। यदि वास्तव में कोई आदेश होता तो उसकी प्रमाणित नकल आवेदक के पास अवश्य होती तथा वह प्रस्तुत करता। जबकि अनावेदक का वर्ष 1958–59 की जमाबंदी को अधिकार अभिलेख घोषित किया। सन् 1958–59 की खतौनी/जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी अनुसुईयादीन के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है जिसका कोई खण्डन नहीं है।

4. आवेदक के पास वादग्रस्त भूमि में हक का स्त्रोत नहीं है उनके पक्ष में अनुसुईयादीन सिंह द्वारा निष्पादित कोई दस्तावेज भी नहीं है जिसके आधार पर 14–4–71 को नामांतरण हुआ। खसरे में यदि नामांतरण आदेश का हवाला देकर नाम दर्ज किया गया हो, तो उसका कोई विधिक महत्व नहीं है। ऐसा आदेश एक क्षण के लिए स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आदेश को निरस्त किया है।

5. जहां तक रामाधार एवं रामचरण के नाम भूमि रजिस्टर्ड विकय के माध्यम विकय करने का तर्क है यदि विकेता के पास हक नही है तो वह केता को हक नहीं दे सकता। रामचरण का नाम बिना हक के खसरा में फर्जी आदेश दिनांक 14–4–71 का हवाला देकर दर्ज कर दिया था फिर उसे वारिस बृजनंदन का नाम दर्ज कर दिया गया होगा तो इससे रामचरण या बृजनंदन को कोई हक प्राप्त नहीं होते। इसलिए उक्त विकयपत्रों पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया।

6. आवेदक द्वारा निगरानी के पैरा कं 13 में यह लेख किया है कि अनुसुईया द्वारा उपरोक्त विवादित आराजियात के संबंध में स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु वाद दायर किया जो दिनांक 24–8–09 को खारिज किया तथा यह भी लेख किया कि दिनांक 14–5–10 को अपील निरस्त की गई जबकि दिनांक 24–8–09 को दावा खारिज नहीं किया है दिनांक 24–8–09 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त हुआ था जिसकी अपील किये जाने पर अपील भी निरस्त हुई थी।

7. अनुसुईयादीन ने जो व्यवहार न्यायालय में दावा दायर किया उसमें आवेदक द्वारा प्रतिदावा पेश किया था। अनुसुईयादीन ने वारिसों ने दोरान दावा दीवानी न्यायालय में आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 काआवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि अब उकत मुकदमें को नहीं चलाना चाहते इसलिये दावा वापस लिया गया। वादी अनुसुईयादीन द्वारा दायर वाद जब निरस्त हो गया तो आवेदक द्वारा वादपत्र के रूप में हो गया, चूंकि अनुसुईयादीन की मृत्यु हो गई थी, आवेदकगण की ओर से उनके वारिसान को पक्षकार बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी इसलिए आवेदक का प्रतिदावा उमशमन के आधार पर दिनांक 12–8–13 को निरस्त हो गया। दीवानी न्यायालय का आदेश आवेदकगण के विपरीत है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्कों के समर्थन में 2002 आरएन 401 एवं 2002 आरएन 405 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। जमाबन्दी एवं अन्य खसरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1958–59 में विवादित आराजियों में अनावेदक अनुसुईयादीन का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रकरण में उपलब्ध अन्य खसरों के अवलोकन से स्पष्ट

है कि वर्ष 1963 से 1971 तक आवेदकगण का नाम कब्जेदार के रूप में तथा प्र0कं0 02/अ–46/69–70 आदेश दिनांक 14–4–71 के पश्चात वर्ष 1971 से वर्ष 1998 तक आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। वर्ष 1963 से 1998 तक अर्थात लगभग 36 वर्ष तक आवेदकगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आने पर अनावेदक अनुसुईयादीन को इस तथ्य की जानकारी न होना आश्चर्य का प्रश्न है अथवा अनावेदक की बाद की सोच हो सकती है। व्यवहार न्यायालयों द्वारा आवेदकगण का विवादित आराजीयों पर कब्जा माना है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के निष्कर्ष को उचित माना है। अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि उसका वर्ष 1963 से 1998 तक लगातार विवादित आराजियों पर कब्जा दखल रहा। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने 26 वर्ष के दीर्घकालीन विलम्ब को बिना किसी आधार के मात्र जानकारी न होने का आधार स्वीकार कर अपील को समय–सीमा में माना है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। प्रकरण कमांक 05/अ–70/95–96 में दिनांक 25–6–96 को प्रस्तुत जबाव की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने जबाव की कण्डिका 2 में यह स्वीकार किया है कि आराजी नम्बर 352 का जुज रकवा 0.20 ए. एवं आराजी नम्बर 353 का जुज रकबा 0.40 ए. को छोडकर अन्य आराजियातें रामाधार काछी एवं लल्लन को अनावेदक द्वारा नामांतरण में सहमति दी गई थी। अनावेदक अनुसुईयादीन द्वारा आवेदकगण के नाम पर नामांतरण किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई थी तथा सहमति के आधार पर ही आवेदकगण के नाम पर नामांतरण प्रमाणित हुआ होगा। आवेदकगण के पक्ष में किये गये सहमति के आधार पर हुये नामांतरण की जानकारी वर्ष 1969–70 से ही थी जिसपर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार

नहीं करने में त्रुटि की है। सहमति के आधार पर किये गये आदेश के विरूद्ध अपील करने की अधिकारिता भी नहीं रहती है।

इस संबंध में 2015 आरएन 107 में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– " परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5–सत्रह वर्ष का विलंब– कब माफ नहीं किया जा सकता–सहमति से नामांतरा आदेश पातिर किया गया–नामांतरण रजिस्टर पर हस्ताक्षर– प्रत्येक वर्ष भू–राजस्व का भुगतान किया जाता है– यह नहीं माना जा सकता कि उसे नामांतरण के विषय में जानकारी नहीं थी– ऐसा असाधारण विलंब माफ नहीं किया जा सकता।"

2015 आरएन 4 में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– " परिसीमा अधिनियम 1963– धारा 5– विलंब कब माफ नहीं किया जा सकता– 460 दिवस का विलंब– देखने में विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिर्शाया गया– प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण गढ़ा हुआ प्रतीत होना– अपील प्रस्तुत करने में पूर्णतया उपेक्षा–समाधान कारण स्पष्टीकरण के अभाव में – ऐसा अनुचित विलंब माफ नहीं किया जा सकता– विलंब माफी के लिए आवेदन तथा अपील खारिज की गई।"

आवदेक द्वारा अनावेदक को बेदखल करने हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 5/अ–70/95–96 प्रस्तुत किया गया था जिसमें अनावेदक अनुसुईदीन द्वारा उपस्थिति होकर आवेदक के पक्ष में जबाव भी प्रस्तुत किया था। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदक को 14–4–71 के आदेश की जानकारी नहीं थी। यदि कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाये कि अनावेदक को अधिनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी तब भी विलम्ब के संबंध में दिन प्रति का समाधानकाक कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। इस संबंध में 1995 आर एन 306 में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.)– धारा 47 तथा 44– समय वर्जित अपील– विलंब की माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का स्त्रोत नहीं दर्शाया गया– प्रत्येक दिन के विषय में स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। 1992 आरएन 289 तथा 1993 आरएन 73 अवलंबित।

यदि अनावेदक अनुसईयादीन के हक में विवादित आराजियां थी तथा आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि पर कब्जा कर लिया था तब अनावेदक को भूमिस्वामी की दशा में, यथास्थिति बेकब्जा किये जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को यह आवेदन कब्जा वापस दिलाया जाये हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया। अतः अनावेदक को अपना स्वत्व के संबंध में शक था अथवा जानकारी के बावजूद भी उसके द्वारा अपनी भूमि पर कब्जा वापसी हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की ओर से बिना आदेश की प्रति जिसको चुनौती दी गई थी एवं बिना अभिलेख प्राप्त किये तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–4–71 को निरस्त करने में त्रुटि की है क्योंकि जब किसी आदेश की सत्यापित प्रति अथवा अभिलेख प्राप्त न हो तब उस पर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला वैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इस संबंध में 1993 आरएन 28 में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 49(1) तथा 44–अपील न्यायालय की शक्तियॉं– अपील चलाने योग्य होना– निचले न्यायालय का अभिलेख मंगाए बिना इसे संक्षिप्तः खारिज नहीं किया जा सकता।''

ऐसी स्थिति में बिना अभिलेख देखे विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 23–3–09 पारित करने में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय अपर

कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–3–09 में तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रकरण कमांक 02/अ–46/69–70 की तलाश कराकर उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें, परन्तु तहसीलदार ने बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्देशों का पालन किए, बिना उक्त अभिलेख को प्राप्त करने का प्रयास किये आवेदकगण के विरूद्ध संक्षिप्ततः आदेश दिनांक 2–6–09 पारित कर वर्ष 1971 की प्रविष्टी परिवर्तित करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय व्यहवार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14–5–10 के पैरा 16 में यह निष्कर्ष निकाला है कि– "राजस्व अधिकारियों द्वारा 38 वर्ष पूर्व राजस्व प्रकरण में पारित आदेश को मात्र इस आधार पर कि प्रकरण तालाश किये जाने पर नहीं मिल रहा है, निरस्त कर दिया गया है। यह गंभीर शोचनीय परिस्थिति का द्योतक है। राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित आराजी पर कब्जे के संबंध मं भी मौके की जांच एवं साक्ष्य एक करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। प्रथमदृष्टया ही यह प्रकट होता है कि राजस्व न्यायालय के द्वारा मनमाने तौर परपारित किये गये आदेश के कारण इस सिविल प्रकरण का जन्म हुआ है। ऐसे मनमाने आदेश से प्रथमदृष्टया विवादित आराजी पर न तो वादी (अनावेदक) का आधिपत्य ही प्रमाणित होगा और न ही खसरे में प्रतिवादी (आवेदक) के नाम को विलोपित किये जाने से यह उपधारण की जा सकती है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगणका आधिपत्य नहीं है।" स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय ने विवादित आराजियों पर कब्जा एवं आधिपत्य अनावेदक अनुसुईयादीन का न मानते हुये आवेदकों का माना है। इस आदेश की पुष्टि मान0 उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश दिनांक रिज पिटीशन 9329/2010 में पारित आदेश दिनांक 13–2–13 के द्वारा की कई है। स्पष्ट

है कि व्यवहार न्यायालय, प्रथम अपीलीय व्यवहार न्यायालय सहित मान0 उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक का हित एवं कब्जा विवादित आराजयों पर माना है। यह सही है कि स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से होता है किन्तु राजस्व रिकार्ड को अद्यतन रखना राजस्व न्यायालय की अधिकारिता एवं उत्तरादियत्व है। जहां तक अनावेदक अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वत्व घोषणा के संबंध में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा उपसमित हो गइ थी। तकनिकी आधार पर किये गये आदेश से स्वत्व का निराकरण नहीं माना जा सकता। प्रतिउत्तर में आवेदक अभिभाषक ने लिस्ट कागजात के साथ व्यवहार न्यायालय के प्र0कं0 66ए/12 के आदेश की प्रतिउत्तर किया है जिसमें अनावेदक द्वारा स्वत्व घोषणा संबंधी दायर वाद वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु अनावेदक का वाद व्यवहार न्यायाधीश द्वारा वापस न करते हुये निरस्त किया है तथा अनावेदक का प्रतिदावा अवैट किया है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बनाया कि उसके द्वारा उक्त अवैट आदेश को निरस्त कराने हेतु रेस्टारेशन भी प्रस्तुत कर दिया है जो अभी लंबित है, इसलिए व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश को अंतिम नहीं कहा जा सकता है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिाकरी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 23–3–09, अपर कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 17–12–09 तथा आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 13–9–11 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–09 निरस्त किया जा चुका है, अतः उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात पारित तहसीलदार का आदेश दिनांक 02–6–09 के द्वारा अनावेदक अनुसुईयादीन के पक्ष में भूमि दर्ज करने संबंधी आदेश निरस्त किया जाकर इसके पूर्व की स्थिति दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(के0सी0 जनै)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर